न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
बईजलास श्री ललित मीना R.A.S.

मुकदमा नम्बर – 135/2013 दायर दिनांक 05.07.2011

1. कोमल कुमार नाबालिग उम्र 13 साल दत्तक पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी ग्राम गोठ की पटटी, तहसील जमवारामगढ़, वादी जरिये संरक्षिका माता फूली देवी पत्नी भगवानसहाय।

वादी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र शज्या जाति मीना निवासी गोठ की पटटी तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ।
3. उप पंजीयक जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री राजेश कुमार पारिक एडवोकेट:– वादी।

(दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

निर्णय दिनांक 01.07.2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी की ओर से एडवोकेट द्वारा दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ग्राम गोठ की पटटी तह0 जमवारामगढ के रहने वाले है। वादी प्रतिवादी सं0 1 के दत्तक पुत्र है। प्रतिवादी नं0 1 ने वादी को दिनांक 23.01.99 को सुबह आठ बजे गांव के समाज के व रिश्तेदारों की मौजूदगी में विधिवत रूप से गोद लिया है। वादी के प्राकृतिक पिता भगवान सहाय व माता श्रीमति फूली देवी ने उक्त दिनांक व समय वादी को प्रतिवादी नं0 1 की गॉव में बिठाया और सब के सामने ऐलान किया कि आज से वादी प्रतिवादी सं0 1 का दत्तक पुत्र हुआ इस ही प्रकार प्रतिवादी सं0 1 ने वादी को अपनी गोद मे बिठाकर एलान किया कि आज से वादी मेरा दत्तक पुत्र हुआ और असल व जायन्दा पुत्र के समान ही इसको मेरी समस्त चल अचल सम्पत्ति में अधिकार होगे। गोद लेने व देने की रसम के बाद तक समाज व रिश्तेदारों में नारियल पतासे बांटे गये तथा ब्राहमण भोजन कराया और समस्त धार्मिक कार्यक्रम सम्पन्न किये। इस प्रकार दिनांक 23.01.99 को गोद पत्र विधिवत रूप से उप पंजीयक कार्यालय जमवारामगढ में पंजीयन कराया है जो विधिवत रूप से अत0 पु0स0 जिल्द सं0 1 के क्रम सं0 14 पृष्ठ सं0 159 पर चस्पा व पंजीयन किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 का वादी ही लालन पालन पोषण कर रहा है। उक्तरोक्त आराजी पैतृक भूमि है इसकी खातेदारी साबिक मे गंगा बेवा छाज्या के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिसके देहान्त के बाद उक्त भूमि की खातेदारी उनके पुत्र भौरीलाल, रेवड, मूलचन्द (प्रतिवादी सं0 1) के नाम दर्ज हुई है। जो पैतृक भूमि होने का स्पष्ट प्रमाण है। वादी बहैसियत दत्तक पुत्र प्रतिवादी सं0 1 के 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज है और काश्त करता आ रहा है। दिनांक 3.7.11 को प्रतिवादी उक्त भूमि को विक्रय करने की बात कुछ लोगो से करने लगे और उनको आराजी पर लाकर मौका दिखाने लगे वादी को पता चलने पर वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को कहा कि आप इस भूमि को क्यो बेच रहे हो यह भूमि ही हमारे जीवनयापन का भविष्य का आधार है परन्तु प्रतिवादी सं0 1 नही मान रहे है और उन्हौने एलानिया कह दिया कि वह तो भूमि का विक्रय करेगा इसलिए नि दावा व बिना मुखास्मत पैदा होकर दावा करना लाजिम आया तथा वादी के जायज व कानूनी अधिकारों का हनन होगा एवं वादी उक्त भूमि के अपने अधिकारों से सदैव के लिए वंचित हो जावेगा। अतः वाद में डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से 1/3 की

खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 115, 132, 210, 220 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम गोठ की पटटी तह0 जमवारामगढ का खातेदार काबिज काश्तकार है तथा उक्त भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार काबिजकाश्तकार वादी को घोषित फरमाया जावें तथा प्रतिवादी सं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावें।

उपरोक्त अनुसार वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तलबी हेतु नोटिस भिजवाये गये। प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब दावे मे अंकित किया कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 गोठ की पटटी के रहने वाले है किन्तु बकिया तथ्य गलत व बेबुनियाद होने से स्वीकार नही है। वादी को कभी भी गोद नही लिया और न ही वादी मिन उत्तरदाता का दत्तक पुत्र है। वाद की आड में वादी के परिवार जन मिन उत्तरदाता की भूमियों को हडप करने की नीयत रखते है और नीयत के चलते कपौलकल्पित व सजिशी कहानी के आधार पर नाबालि वादी के द्वारा विरूद्व प्रतिवादी प्रस्तुत किया गया है। जो सरासर गलत होने से सरसरी तौर पर काबिल खारिज है, न तो वादी प्रतिवादी सं0 1 का दत्तक पुत्र है और ना ही दिनांक 23.01.1999 को गांव व समाज के रिश्तेदारों की मौजूदगी में वादी को गोद ही लिया। समस्त दर्ज कहानी कपौलकल्पित है। वादी का वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी के हिस्से 1/3 में किसी प्रकार का कोई संबंध, सरोकार अथवा अधिकार नही है। यदि अंकित तथ्यों पर गौर किया जाए तो दिनांक 23.01.1999 को प्रतिवादी द्वारा गोद लेना अंकित किया है। और वादी की आयु 13 वर्ष अंकित की गई है। वादी ने वाद 4.7.2011 को पेश किया है। इस प्रकार अंकित अनुसार गोद के दिन वादी की आयु मात्र 6-7 माह की रही है जो नवजात शिशु की तारीफ मे आता है। मिन उत्तरदाता स्वयं अविवाहित है इस प्रकार अंकित कहानी अविश्वसनीय व हास्यास्पद है। जो मात्र मिन उत्तरदाता के अनपढ होने का फायदा उठा कर भूमि को हडपने की गर्ज से बदनीयतीपूर्ण रचि गई है। मिन उत्तरदाता ने जब वादी को कभी गोद ही नही लिया तो दिनांक 23.01.1999 को गोद पत्र का पंजीयन करवाने का कोई कारण नही है। मिन उत्तरदाता ने दिनांक 23.01.1999 को कोई गोद पत्र पंजीकृत नही करवाया यह वादी के माता-पिता की साजिशी चाल है। मिन प्रतिवादी के लिये यह संभव ही नही था, कि 6-7 महिने के बच्चे को अपने साथ रखे जबकि मिन प्रतिवादी स्वयं अविवाहित व अकेला रहता है। मिन प्रतिवादी द्वारा वादी के लालन पोषण करने का कोई सवाल ही नही है। सच्चाई तो यह है कि वादी को मिन उत्तरदाता अच्छे से आज भी नही पहचानता। वाद बदनीयतीपूर्ण षडयंत्र के तहत मिन उत्तरदाता की खातेदारी की भूमियों को हडपने की गर्ज से पेश किया गया है जो सरसरी तौर पर काबिल खारिंज है। वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से का मिन प्रतिवादी काबिज खातेदार है जिसमे वादी के किसी भी प्रकार के कोई हक हकूक निहित नही है। नाबालिग वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने का तथ्य भी हास्यास्पद है। मिन उत्तरदाता ने कभी भी किसी गोद पत्र का निष्पादन व पंजीयन नही किया, वादी को वादग्रस्त आराजियात में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार बरूहे कानून प्राप्त नही है। अन्य तथ्य भी गलत आधारहीन होने से स्वीकार नही है। वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से का मिन प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है और साधिकार काबिज काश्त है वादी मिन उत्तरदाता का न तो केोई गोद पुत्र है और न ही अन्य प्रकार से कोई वारिस वादी का वादग्रस्त आराजियात में कोई कानूनन हक हकूक प्राप्त नही है और ना ही वादग्रस्त आराजीयात से कोई संबंध व सरोकार है। वादी इस खण्ड में वांछित अनुतोष मिन उत्तरदाता के विरूद्व प्राप्त करने का बरूहे कानून अधिकारी नही है और ना ही किसी प्रकार की उघोषणा मिन उत्तरदाता व वादग्रस्त आराजीयात में करवाने का कानूनन अधिकारी है। न्यायालय हाजा को वादी को मिन उत्तरदाता को गोद पुत्र घोषित करने का अधिकार व क्षेत्राधिकार नही है। वादी मिन उत्तरदाता को किंसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का कानूनन अधिकारी नही है। बिना अधिकार व बिना क्षेत्राधिकार वाद प्रस्तुत किया गया है जो सरसरी तौर पर काबिल खारिज है। अतः वादी वादान्तर्गत वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वाद हाजा बिना क्षेत्राधिकार व बिना अधिकार के कानूनी व बार्ड बॉय लॉ होने से सरकारी तौर पर मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने योग्य है। वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वकील वादी ने साक्ष्य के रूप में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल मिसल है। साक्ष्य शपथ पत्र में निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 मूलचन्द पुत्र छाजा जो अविवाहित है ने मुझे दिनांक 23.01.1999 को गोद लिया था, जिसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया था तथा सामाजिक रिति रिवाजों से गोद की सारी रस्में की गई थी। मै प्रतिवादी सं0 1 के पास पुत्र की भॉति रहा हूँ और दत्तक पुत्र होने की हैसियत से वादग्रस्त भूमि कोपार्सनरी भूमि होने से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

भूमि में मेरे निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए मैने वाद पेश किया है। मैरा वाद स्वीकार फरमाया जावें।

वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, जवाब प्रतिवादी सं0 1 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि वादी ने वाद पत्र में साक्ष्य शपथ पत्र के साथ कोई दस्तावेज पेश नही किये तथा दत्तक पुत्र जीवित प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में से भूमि प्राप्त करने का हक नही है। पत्रावली पर प्रस्तुत गोदनामें की फोटो प्रति पेश की है। जो कि साक्ष्य में ग्राहय योग्य नही है। जिसे पत्रावली में साक्ष्य के रूप में पढा नही जा सकता। उक्त दस्तावेजों के अभाव में वादी का उक्त भूमि में किसी प्रकार के हित निहित नही होने के कारण वाद स्वीकार करना उचिवत नही समझते है। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अस्वीकार किया जाता है।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 01.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ